(29)

समक्ष न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल, भोपाल केम्प (म.प्र.)

प्रकरण क्र.–...../निगरानी/2017–18

PBR/निगरानी/भोपाल/भू.रा./2018/2086

कालूराम आ. श्री हरिसिंह, आयु–86 वर्ष,

निवासी–ग्राम गेहूँखेडा तहसील हुजूर,

जिला भूपाल (म0प्र0) ..... निगरानी प्रस्तुतकर्ता

विरूद्ध

श्रीमती राजश्री राजपूत पत्नि श्री विजय सिंह राजपूत, आयु–वयस्क,

निवासी–:ई–52, राजहर्ष कॉलोनी, कोलार रोड,

तहसील हुजूर, जिलाभोपाल (म.प्र.) ..... प्रत्यार्थी

।। निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 ।।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि मा. अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पृ. क्र. 181/अपील/16–17 में पारित आलौच्य आदेश दिनांक 21/03/2018 एनेक्चर ए, से दुखित व परिवेदित होकर यह निगरानी समय सीमा में प्रस्तुत है।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी /भोपाल/भूरा/18/2086

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3-4-18	आवेदक अधिवक्ता श्री बी0यू0खान द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 21-3-2018 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदक द्वारा आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 सीपीसी एवं धारा 32 म0प्र0भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रस्तुत आवेदन पर उभयपक्षों के तर्क सुने जाकर संलग्न दस्तावेज के आधार पर आवेदन पत्र औचित्यहीन व सारहीन होने से अमान्य किया गया है । आवेदक यह स्पष्ट नहीं कर सका है कि वह अन्य व्यक्तियों को क्यों पक्षकार बनाना चाहता है। राजस्व मण्डल के जिस पूर्व आदेश दिनांक 6-10-16 का उसने उल्लेख किया है उसमें भी ऐसे कोई निर्देश नहीं है । प्रथमदृष्टया अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अत: यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। अध्यक्ष	